FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/03/2025 19:00 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	419
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/04/2020 **Date To (दिनांक तक):** 30/04/2021

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/03/2025 **Time (समय):** 19:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 017 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/03/2025 19:00 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 90 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला कैथल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** श्री ओम प्रकाश उप पुलिस अधीक्षक

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1975 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला, अम्बाला, SECTOR-9, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला, अम्बाला, SECTOR-9, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9466615007

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	संजय दीवान तत्कालिन सैल्समैन			1. बीज वितरण केन्द्र चीका,कैथल KAITHAL,HARYANA,INDIA
2	रामभज तत्कालिन सैल्समैन			1. बीज वितरण केन्द्र कलायत,कलायत KAITHAL,HARYANA,INDIA
3	मोहित कौशिक सैल्समैन			1. बीज वितरण केन्द्र कैथल,कैथल KAITHAL,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-

सेवा में,
प्रबंधक थाना
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्री मान जी,

जांच क्रमांक 02 दिनांक 04.06.2024 कैथल माननीय न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ द्वारा CWP No. 5898 में जारी किए गए आदेश दिनांक 09.05.2024 अनुसार कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांक क्रमांक 11410/आई.-1/भ्र.नि.ब्यू. (ह.) दिनांक 04.06.2024 व आपके कार्यालय के डायरी क्रमांक 608 दिनांक 05.06.2024 अनुसार पड़ताल हेतू प्राप्त हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इस आरोप की पड़ताल की जानी थी कि वर्ष 2020 के दौरान हरियाणा राज्य के किसानों द्वारा हरियाणा बीज विकास निगम (HSDC) से सब्सिडी पर गेहूं का बीज खरीद किया गया था। हरियाणा बीज विकास निगम (HSDC) के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सरकारी रिकार्ड में अंकित गेहूं का बीज खरीद करनें वाले किसानों के नामों के सामनें किसान द्वारा खरीद किये गये असल गेहूं की थैलियों की मात्रा के अतिरिक्त सम्बंधित किसान द्वारा ज्यादा मात्रा में गेहूं के बीज की थैली खरीद करनें बारे झूठा रिकार्ड तैयार करके गेहूं बीज में दी जानें वाली सब्सिडी में गबन करके सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। पड़ताल पर पाया गया कि हरियाणा बीज विकास निगम मर्यादित (राज्य सरकार का सस्थांन) बेज 3-6, बीज भवन सैक्टर-2 पंचकूला द्वारा सर्कूलर नम्बर HSDC/MKTG/F-81(138-A)/2020/7004-7015 दिनांक 05.10.2020 जारी किया गया था जिसमें दर्शाया गया कि हरियाणा सरकार द्वारा रबी सीजन 2020-21 में गेहूं कि किस्मों HD 3086, WH 1105, DBW 90,HD 2967, PBW 677, PBW 725, PBW 723,WH 1124,WH- 1080, WH-1142,WB-2 के बीज के लिए 3350/-रू0 प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है जिसमें से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा 1000/-प्रति क्विंटल के हिसाब से हरियाणा बीज विकास निगम को देगा व उसकी कटौती उपरान्त 2350/-रू0 प्रति क्विंटल के हिसाब से निगम किसानों को बीज उपलब्ध करवाएगा। जिसमें 940/-रू0 प्रति बेग (40 कि0ग्रा0) के हिसाब से किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाएगा।

तदोपरान्त हरियाणा बीज विकास निगम उमरी द्वारा जिला कैथल के बीज वितरण केन्द्र चीका पर 5502. 40 Qtls गेहूं बीज का वितरण सजंय दीवान सैल्समेन (Marketing Assistant) बीज वितरण केन्द्र चीका द्वारा किसानों केा किया गया। पडताल के दौरान चीका बीज वितरण केन्द्र से बीज प्राप्त करने वाले किसानों केा शामिल जांच किया गया जो कि श्री जसबीर सिंह व श्री जीत राम वासी कल्लर माजरा असल क्रेता (जसबीर सिंह के पिता) के कथनानुसार उसके द्वारा मात्र 02 बेग गेहूं खरीद किए गए थे लेकिन संजय दीवान ने बाद में सेल रजिस्टर में धोखाधडी से 22 का इन्द्राज किया गया है। श्री कृष्ण पुत्र श्री शादी राम वासी डण्डौता जिला कैथल के कथन अनुसार उसके द्वारा भी सिर्फ 01 बेग खरीद किया गया था परन्तु रिकार्ड में 03 दर्शाए गए हैं। पडताल के दौरान बीज वितरण केन्द्र चीका से सेल रजिस्टर, केश मेमो व स्टाक रजिस्टर को प्राप्त करके क्रास चैक किया गया जो क्रास चैक करने पर सेल रजिस्टर, कैश मैमो व स्टाक रजिस्टर में ओवरराईटिंग व कटिंग पाई गई। इसके अतिरिक्त 35 किसानों द्वारा खरीद किए गए गेहूं बीज के बेगों के इन्द्राज में सेल रजिस्टर में 53 बेगों की संख्या कैश मीमो से अधिक पाई गई। इस प्रकार संजय दीवान द्वारा लोक सेवक के पद पर रहते हुए पहले से तैयार किए रिकार्ड में धोखाधडी की नीयत से कटिंग व ओवरराईटिंग करके रिकार्ड से छेडछाड व जालसाजी करने का अपराध करना पाया गया था ।

हरियाणा बीज विकास निगम लि0 जिला कैथल के बीज वितरण केन्द्र कलायत पर 2754.80 Qtls गेहूं बीज का

वितरण श्री रामभज सैल्समेन बीज वितरण केन्द्र कलायत द्वारा किसानों केा किया गया। पडताल के दौरान बीज वितरण केन्द्र कलायत से बीज प्राप्त करने वाले किसानों केा शामिल जांच किया गया जो कि श्री कर्मबीर सिंह पुत्र श्री दुनीचंद वासी कोलेखां जिला कैथल ने अपने कथन में अंकित करवाया कि उसके द्वारा मात्र 1 बेग ही वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं बीज का लिया गया था तथा बीज वितरण केन्द्र कलायत के केश मैमो में भी श्री कर्मबीर सिंह के नाम एक बेग गेहूं बीज का इन्द्राज किया गया है, परन्तु बीज वितरण केन्द्र कलायत के सेल रजिस्टर में श्री कर्मबीर सिंह के नाम 02 बेग गेहूं बीज का इन्द्राज करके सेल रजिस्टर में 01 बेग अधिक दर्शाया गया है। पडताल के दौरान बीज वितरण केन्द्र कलायत से सेल रजिस्टर, केश मेमो व स्टाक रजिस्टर को प्राप्त करके क्रास चैक किया गया जो क्रास चैक करने पर सेल रजिस्टर, कैश मैमो व स्टाक रजिस्टर में ओवरराईटिंग व कटिंग पाई गई। इसके अतिरिक्त 09 किसानों द्वारा खरीद किए गए गेहूं बीज के बेगों के इन्द्राज में सेल रजिस्टर में 12 बेगों की संख्या कैश मीमो से अधिक पाई गई। इस प्रकार रामभज सैल्समेन द्वारा लोकसेवक के पद पर रहते हुए पहले से तैयार किए रिकार्ड में धोखाधडी की नीयत से कटिंग व ओवरराईटिंग करके रिकार्ड से छेडछाड व जालसाजी करने का अपराध करना पाया गया था।

हरियाणा बीज विकास निगम लि0 जिला कैथल के बीज वितरण केन्द्र कैथल पर 3282 Qtls गेहूं बीज का वितरण श्री मोहित कौशिक सैल्समेन बीज वितरण केन्द्र कैथल द्वारा किसानों केा किया गया। पडताल के दौरान बीज वितरण केन्द्र कैथल से बीज प्राप्त करने वाले किसानों केा शामिल जांच किया गया तथा बीज वितरण केन्द्र कैथल से सेल रजिस्टर, केश मेमो व स्टाक रजिस्टर को प्राप्त करके क्रास चैक किया गया जो क्रास चैक करने पर सेल रजिस्टर, कैश मैमो व स्टाक रजिस्टर में ओवरराईटिंग व कटिंग पाई गई। इसके अतिरिक्त 05 किसानों द्वारा खरीद किए गए गेहूं बीज के बेगों के इन्द्राज में सेल रजिस्टर के रिकार्ड में 3 बैगों का इन्द्राज कैश मेमो से अधिक होना पाया गया गया है तथा कैश मेमो में 4 बैगों का इन्द्राज सेल रजिस्टर से अधिक किया गया है। इस प्रकार श्री मोहित कौशिश सेल्समैन द्वारा लोक सेवक के पद पर रहते हुए पहले से तैयार किये गये रिकार्ड में धोखाधडी की नियत से कटिंग व ओवरराईटिंग करके रिकार्ड से छेडछाड व जालसाजी करने का अपराध करना पाया गया था।

इस प्रकार पडताल के बाद संजय दीवान तत्कालीन सेल्समैन (Marketing Assistant) बीज वितरण केन्द्र चीका, रामभज तत्कालीन सेल्जमेन बीज वितरण केन्द्र कलायत जिला कैथल, हाल बीज वितरण केन्द्र नरवाना जिला जींद व मोहित कौशिक सेल्जमेन बीज वितरण केन्द्र कैथल जिला कैथल के विरूद्ध धारा 218, 409, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)a r/w 13(2) PC Act. 1988 के तहत अभियोग अंकित किए जाने का सुझाव देकर अन्तिम रिपोर्ट भिजवाई गई थी। जिस पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग ने पृष्ठांक 66/46/2024-6VII चण्डींगढ़ दिनांक 04.03.2025 व कार्यारलय अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के पृष्ठांक क्रमांक 3677/I-1/ACB(H) दिनांक 05.03.2025 अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की संस्तुति से सहमती प्रकट करते हुये इस मामले में धारा 409, 419, 420, 467, 471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)a r/w 13(2) PC Act. 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुए हैं।

अतः संजय दीवान तत्कालीन सेल्समैन (Marketing Assistant) बीज वितरण केन्द्र चीका, रामभज तत्कालीन सेल्जमेन बीज वितरण केन्द्र कलायत जिला कैथल, हाल बीज वितरण केन्द्र नरवाना जिला जींद व मोहित कौशिक सेल्जमेन बीज वितरण केन्द्र कैथल जिला कैथल के विरूद्ध धारा 409, 419, 420, 467, 471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)a r/w 13(2) PC Act. 1988 के तहत अभियोग अभियोग अंकित करके स्पैशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट, कैथल व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रति उच्च अधिकारियों को भेजी जावें। मिशल अभियोग व सम्बन्धित रिकॉर्ड तफतीशी अधिकारी को भेजा जावे। अनुसंधान के दौरान सम्बन्धित अधिकारी को अन्य अधिकारीयों /कर्मचारीयों की संलिप्तता बारे भी देख लिए जाने का सुझाव दिया जाता है।

अज थाना -भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला ।

-sd- Om Parkash
औमप्रकाश, ह.पु.से.
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अम्बाला मण्डल अम्बाला
दिनांक 13.03.2025
At. 6.30 Pm.

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा तहरीर श्री ओम प्रकाश उप पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला बर खिलाफ संजय दीवान तत्कालीन सैल्जमैन (Marketing Assistant) बीज बिक्री केन्द्र चीका, रामभज तत्कालीन सेल्समैन बीज वितरण केन्द्र कलायत जिला कैथल हाल बीज वितरण केन्द्र नरवाना जिला जीन्द व मोहित कौशिक सेल्जमैन बीज वितरण केन्द्र कैथल जिला कैथल बाजूर्म 409,419,420,467,471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)A r/w 13(2) PC Act. 1988 थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 10 दिनांक 13.03.2025 धाराधीन 409,419,420,467,471 भारतीय दण्ड संहिता व 13(1)a r/w 13(2) PC Act. 1988 थाना भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब कैथल की सेवा मे बजरीया ई-मेल व सम्बन्धित उच्चाधिकारीगण की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक बिमला देवी निरीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है। नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर मय रिकार्ड हवाले ई.म.सि. धर्मबीर सिंह न. 1561/अम्बाला करके हस्ब आदेश अफसरानबाला आगामी अनुसंधान हेतू निजद निरीक्षक सुबे सिंह भ्र0नि0ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SUBE SINGH **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 517KTL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Om Prakash

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): HPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male					**Is pox pitted:** Yes
2	Male					**Is pox pitted:** Yes
3	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)